भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1415
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

संचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार

1415. श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

देश में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध दूरसंचार सेवाओं (विशेष रूप से नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु) में वृद्धि करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

दूरसंचार विभाग ने पिछले 5 वर्षों में देश में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्नानुसार हैं -

(क) देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट / डेटा और मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूएसओएफ) के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

i. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजनाएं।

ii. सेवा से वंचित सभी गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन स्कीम।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना।

iv. जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना। अक्टूबर, 2024 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,283 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने 1.39 लाख करोड़ रूपये की लागत से देश की सभी ग्राम पंचायतों को रिंग नेटवर्क पर कवर करते हुए, भारतनेट चरण-। और चरण-।। के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष गैर-ग्राम

पंचायत गांवों (लगभग 3.8 लाख) में मांग के आधार पर कनेक्टिवटी के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदित किया है।

स्कीमों का विवरण अनुबंध-I में उपलब्ध है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पैरामीटरों के लिए हाल ही में सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों को संशोधित किया गया है।

(ग) वर्ष 2021, 2022 और 2024 में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामियों के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के लिए पर्याप्त एक्सेस स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया गया है।

(घ) राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के आरंभ होने के परिणामस्वरूप दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त होने में तीव्रता आई है।

(ङ) सीमावर्ती गांवों में मोबाइल कवरेज में सुधार लाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की स्थापना से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया है।

अनुबंध-I

"संचार सेवाओं में गुणवत्ता सुधार" के संबंध में माननीय सांसद श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा पूछे गए 4 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के उत्तर के पैरा (क) के संदर्भ में अनुबंध।

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**टॉवर/ बीटीएस की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**
1	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र	3,609	4,637
2	सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र	585	1,546
3	आकांक्षी जिले	3,928	4,099
4	4जी सेचुरेशन	17,901	30,620
5	सीटीडीपी पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,216	2,227
6	सीटीडीपी द्वीप समूह	125	166

****